न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 23 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 29)	30.01.2024	15.04.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

मृतक मधु पत्नी धर्मराज जाति खाती निवासी जगन्नाथपुरा, तह.के.पाटन हाल तहसील रायथल (जरिये कायम मुकामान) –

1. देवेन्द्र पुत्र धर्मराज जाति खाती, निवासी कोटिल्य स्कूल के पीछे गली नं. 2 आंवली रोजड़ी, कोटा
2. प्रमोद पुत्र धर्मराज जाति खाती, निवासी कोटिल्य स्कूल के पीछे गली नं. 2 आंवली रोजड़ी, कोटा
3. सीमा पुत्री धर्मराज जाति खाती, निवासी कोटिल्य स्कूल के पीछे गली नं. 2 आंवली रोजड़ी, कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मधु पत्नी धर्मराज खाती को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 364 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाकेग्राम जगन्नाथपुरा (हाल तहसील रायथल) आवंटन आदेश दिनांक 31.08.2006 को निरस्त किये जाने हेतु आवंटन नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार विवादित भूमि अब तहसील रायथल के अन्तर्गत आ जाने से प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 23/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/29 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 25.03.25 को अपना जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त आवंटित भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि प्रकरण में आवंटी मधु पत्नी धर्मराज को आवंटित भूमि खसरा सं. 364 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम जगन्नाथपुरा का आवंटन के समय ही तहसीलदार द्वारा आवंटी को कब्जा संभला दिया था। तब से ही आवंटी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है तथा आवंटी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण काबिज काश्त रहे है। आवंटन नियमों के तहत आवंटी आवंटन के तीन वर्ष पश्चात स्वतः ही खातेदार बन चुकी है। आवंटी को आवंटन नियम 18 के तहत स्वतः खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। इस कारण तकनीकी आधार पर उक्त आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन के करीब 16 वर्ष बाद तहसीलदार साहब द्वारा अतिक्रमी को लाभ पहुचाने की गरज से उक्त कार्यवाही आवंटन नियम 14(4) के तहत पेश की गई है। वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट अन्य व्यक्तियों को अतिक्रमण करवाने के उद्देश्य से तहसीलदार साहब को प्रस्तुत की गई है। ऐसे में तहसीलदार साहब द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि मधु पत्नी धर्मराज जाति खाती निवासी जगन्नाथपुरा को दिनांक 31.08.2006 को भूमि खसरा सं. 364 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाकेग्राम जगन्नाथपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। ग्राम जगन्नाथपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 364 रकबा 0.73 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त होने के संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2076 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। जिससे गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मधु पत्नी धर्मराज जाति खाती निवासी जगन्नाथपुरा को किया गया भूमि आवंटन हाल ख.सं. 364 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाकेग्राम जगन्नाथपुरा दिनांक 31.8.2006 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार **रायथल** को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी